# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

**G.C.M.S. No. 2023/175**

तारीख 22.06.2023

अपील संख्या 19 / 2023

1. रामजीलाल पुत्र श्री सीताराम माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. रामगोपाल पुत्र श्री सीताराम माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. हनुमान पुत्र श्री सीताराम माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. रामहरि पुत्र श्री सीताराम माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. गजानन्द पुत्र श्री सीताराम माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

—— अपीलान्ट्स

## बनाम

1. मोहनलाल पुत्र प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. गिर्राज पुत्र प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. नेनकी पुत्री प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. गीता पुत्री प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. छोटी पुत्री प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. द्वारिका पुत्री प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. गोपाली बेवा प्रहलाद माली निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. बदाम पत्नी राधेश्याम माली निवासी ग्राम गोठबिहारी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
9. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

——— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः—

| | | |
|---|---|---|
| श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट | – | अपीलान्ट्स की ओर से |
| श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट | – | रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1,2,7,8 की ओर से |
| पैरोकार सरकार | – | रेस्पोडेन्ट्स की ओर से |

## निर्णय

दिनांक 25.02.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 01.12.1968 एवं नामान्तरकरण संख्या 590 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की [illegible] रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2, 7 लगायत 8 [illegible] उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। दौराने विचाराधीन अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की मृत्यु होने तथा उसके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर उपलब्ध होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का नाम हज़फ किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस कराई गई। बावजूद तामील आदिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर विस्तृत लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.12.1968 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना मौका कब्जा जांच किये वादीगण को सुने बिना आदेश दिनांक 04.06.68 फैसले का अंकन हल्का पटवारी द्वारा कॉलम संख्या 16 में दर्शाकर उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध तरीके से प्रहलाद पुत्र गंगोल्या के नाम नामान्तकरण में कॉट छॉट कर गलत दर्ज कर दिया गया। जिसमें नामान्तकरण नियमों की स्पष्ट अनदेखी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश का नामान्तकरण तस्दीक करने का मुख्य आधार फैसला दिनांक 04.06.1968 दर्शाया है जबकि तहसीलदार ने या उपखण्ड अधिकारी ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया बल्कि अपने निर्णय ने यह अंकित किया कि पूर्व में दिनांक 03.06.1968 को किया जा चुका है प्रहलाद का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फिर भी तहत न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना किसी आदेश के नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में उक्त आदेश दिनांक 04.06.68 का हवाला देते हुए आई.एल.आर. से तुलना करवाकर दिनांक 01.12.1968 को विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण के मेन्डेट्री नियमों का बोईलेशन कर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। नामान्तकरण में वर्णित आराजी का आवंटन का गलत अंकन प्रहलाद ने अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से साज कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराया जबकि वास्तविकता यह है कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर अपीलान्ट्स अपने पिता के समय से ही काबिज था तथा उस समय ही उक्त आराजी पर बाउण्ड्रीवाल करवाकर कब्जा काश्त नहीं रहा है और बिना कब्जे के राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रेस्पोडेन्ट नं0 8 बदाम पत्नी राधेश्याम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गयी जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर डोलमेड करवाकर उपर तारफेन्सिंग करवा रखी है तथा इसमें अपीलान्ट के 20 सो वर्ष पूर्व से पेड पौधे लगे हुये है तथा गार्डन बना रखा है। अपीलान्ट का उक्त आराजी पर पूर्णतया कब्जा है इससे स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा आराजी का कोई मौका कब्जा बाबत जांच नहीं की जो कि नामान्तकरण नियमों के तहत मेण्डेट्री है। वास्तविकता यह है कि अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है क्योंकि अपीलाधीन नामान्तकरण में खसरा संख्या 97 रकबा 4 बिस्वा की सीधे ही प्रहलाद पुत्र गंगोल्या माली के नाम खातेदारी दर्ज की है। खसरा नं0 97 पर आबादी बसी हुयी है, जबकि आवंटन नियमों के तहत सर्व प्रथम गेर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये तथा तत्कालीन समय 10 वर्ष पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिये इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में होने से नि[illegible] योग्य है। गंगोल्या के प्रभूलाल, सूरजमल, सीताराम, प्रहलाद, हरिनारायण व [illegible] पिता के समय से ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आराजी पर काबिज काश्त है। वादीगण ने उक्त आराजी पर नल फीटिंग करा रखी है, 6 फीट ऊंची पत्थर की बाउण्ड्री हो रही है। और दो गेट लगे हुए है। प्रहलाद के पुत्र बदाम से साज कर गलत प्रविष्टि के आधार पर वादीगण को बेदखल करना चाहते है। वादीगंण संख्या 1 लगायत 5 सीताराम जोकि गंगोल्या का पुत्र है तथा प्रहलाद का भाई है, प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 7 प्रहलाद के वारिसान हैं तथा 8 इनके द्वारा बेचान किये जाने पर खरीददार है। मेण्डेट्री नामान्तकरण नियमों की धारा 119 से 125 की पालना नहीं की गई मौका कब्जा की जांच नहीं की गई। तहत न्यायालय में वादीगण पक्षकार नहीं थे। अपीलाधीन आदेश से वादीगण एग्रीवड है क्योंकि उक्त आराजीयात में वादीगण के पेड, बाउण्ड्री, मकान इत्यादि बने हुए है। वादीगण एग्रीवड होने से उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स के पिता प्रहलाद पुत्र गंगोल्या का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा इस प्रकार तहत न्यायालय ने नामान्तकरण खोलने से पूर्व मौके कब्जे की किसी प्रकारकी कोई भौतिक जांच नहीं की तथा नामान्तकरण नियमों के विपरीत जाकर हठधर्मिता अपनाते हुए उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है तथा शून्य आदेश को किसी भी वक्त सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर रद्द करवाया जा सकता है। इस प्रकार के आदेशों पर कोई मियाद प्रभावी नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व वादीगण को साक्ष्य सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अंत में वकील अपीलान्ट ने तहत न्यायालय तहसीलदार खण्डार के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.1968 नामान्तकरण संख्या 590 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने नामान्तकरण संख्या 590 दिनांक 01.12.1968 को निरस्त करने हेतु अपील जून 2023 में नामान्तकरण की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06.06.2023 को होना बताकर पेश की जिसमें यह उल्लेख किया कि नामान्तकरण में नियमों की पालना नहीं की गई। ख0नं0 97 पर अपीलांट प्रहलाद का कभी कब्जा नहीं रहना बताते है तथा अपना कब्जा अपने पिता के समय होना बताकर अपील पेश की जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के पिता व पति प्रहलाद काबिज था। वर्तमान में उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 बहेसियत केता काबिज चली आ रही है। अपीलान्ट्स को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी कि ख0नं0 97 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 के नाम है तथा इनसे पूर्व इनके पिता प्रहलाद के नाम थी। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में दिनांक 16.09.2022 को पेश किया जिसके मद नम्बर 1 में स्पष्ट दर्ज किया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 7 के पिता ने गलत ढंग से आवंटन करा लिया अर्थात् 16.09.2022 को रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 7 के पिता के नाम होने की जानकारी होने पर भी अपील जून 2023 में पेश की जो कानूनन मियाद के अनुसार पेश होनी चाहिए थी इसलिए अपील प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलान्ट्स का रेस्पोडेन्ट्स की भूमि ख0नं0 97 से किसी भी प्रकार का कोई संबंध [illegible] नहीं रहा, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है अपीलान्ट्स ने [illegible] दुश्मनी के कारण अपील पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

की है। अपीलान्ट्स द्वारा 55 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जो केवल हैरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश की गई है अपीलान्ट्स का यदि किसी भी प्रकार का अधिकार बनता है तो वह सक्षम न्यायालय से उद्घोषणा करा सकते है। पक्षकारो के मध्य सिविल कोर्ट में दावा चल रहा है जहां पर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर निर्णय होना है ऐसी स्थिति में दावे के चलने से अपील चलने योग्य नहीं है। कथन की पुष्टि हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां चल रहे दावे एवं आर्डरशीट की प्रमाणित प्रति लिखित बहस के साथ पेश की गई। अंत में वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि तत्कालीन संबंधित हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरे जाने पर एवं तत्कालीन संबंधित गिरदावर द्वारा नामान्तकरण की तुलना करने पर सही पाये जाने के उपरान्त ही संबंधित तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया है जोकि सही किया गया है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 22.06.2023 को अपील पेश की गई जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र के अनुसार अपीलान्ट्स को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की दिनांक 06.06.2023 को जानकारी हो बताया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस के साथ पेश किये गये सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार के यहां विचाराधीन दावे एवं आर्डरशीट की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये बेचान कर देने पर अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 16.09.2022 को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.7.2022 को निरस्त करने हेतु एक दावा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट्स को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 16.09.2022 के पूर्व से ही थी। अपीलान्ट्स द्वारा गलत शपथ पत्र पेश कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत असत्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

उक्त विवादित भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.7.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में बेचान हो चुका है जिसका अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य एक दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दावे के विचाराधीन रहते हुए यह अपील चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested